बिल्लू ..... बनाम ..... फूलसिंह .....

किस्म मुकदमा ..... 225 आर.टी.एक्ट ..... नं ..... सन् 51/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील में कैवियट प्रार्थना पत्र संलग्न है। चूंकि कैवियट प्रार्थना पत्र अवधिपार है नियमानुसार कैवियट प्रार्थना पत्र दायर किये जाने की तारीख से 90 दिवस के अवसान पश्चात प्रवृत नही रहेगा अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज पंजिका की जावे। पत्रावली सहायक कलक्टर अलवर के लोक अदालत कोर्ट कैम्प दादर के निर्णय दिनांक 13.06.2016 के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 622 रकबा 0.61 है0, 623 रकबा 0.36 है0, 624 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.17 है0 ग्राम दादर तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिस आराजी को विवादित बताते हुये असल रेस्पो0 ने अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के खिलाफ एक दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत अदालत में पेश किया हुआ है जिसके साथ असल रेस्पो0 ने धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व एक प्रार्थना पत्र अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को पाबन्द कराने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र असल रेस्पो0 सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में रखने हेतु कोई सूचना तहत अदालत द्वारा अपीलांट को नही दी गई ना ही कोई नोटिस जारी किये गये।तहत अदालत द्वारा अपीलांट की गैरमौजूदगी में अपीलांट को सूचित किये बिना तथा सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिये बिना निर्णय पारित कर दिया।विवादित आराजी की बाबत् असल रेस्पो0 ने अपने आपको अभिलिखित गैरखातेदार बताकर दावा पेश किया है। कानूनन गैरखातेदार को वाद प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही था।असल रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा तथा कानूनन गैरकाबिज व्यक्ति के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती।असल रेस्पो0 के बुजुर्ग पून्या पुत्र बुद्धा जाति जटिया गैरखातेदार काबिज काश्तकार होने के नाते अपीलांट के पिता वासुदेव पुत्र नौबतराम को जर्ये इकरारनामा विक्रय कर दी।अपीलांट के पिता से 13500/--रूपया प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा दे दिया था। वक्त खरीद से विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर तथा काबिज काश्तकार हैं तथा कानूनन काबिज काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने अपीलांट को ना तो जबाव पेश करने का अवसर दिया और ना ही प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली हानि के बिन्दुओं का विवेचन व निस्तारण किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है–

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 13.06.2016 को प्रचलन से रोका जाता है। उभयपक्षकारान को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे श्रवणाधिकार बिन्दु का निर्धारण कर पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें ।आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

03.12.19